

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

सी ए जी ने यह लेखापरीक्षा क्यों की?

शहरी क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। अपशिष्ट के अपर्याप्त प्रबंधन के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणामों पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यह आस-पास के मनोरम दृश्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ठोस अपशिष्ट के निस्तारण और प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और राज्य स्तर, शहरी निकाय और अपशिष्ट उत्पादकों पर जिम्मेदारियाँ तय करता है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन नियमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए यह लेखापरीक्षा संपादित की गई।

प्रमुख लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) दिशानिर्देशों का पालन करके तैयार नहीं की गई थी। आधारभूत अपशिष्ट विश्लेषण अप्रभावी और पुराना था, डी पी आर के पुनरावृत्ति के प्रकरण पाए गए। योजना की कमी स्पष्ट थी जैसा की इस तथ्य से स्पष्ट है कि परीक्षण किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना और आकस्मिक योजना तैयार नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा में अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू हानिकारक अपशिष्ट और निर्माण और विध्वंस (ध्वस्तीकरण) से संबन्धित अपशिष्टों का खराब प्रबंधन देखा गया।

यद्यपि डी पी आर को मंजूरी दी गई थी और धनराशि उपलब्ध थी, परंतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा में किसी भी नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय में बुनियादी परियोजना ढांचे का निर्माण नहीं किया गया था। दो शहरी स्थानीय निकायों में, परियोजना के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान/खरीद के लिए प्रारंभिक कार्यवाही भी की जानी शेष थी। पांच शहरी स्थानीय निकायों में से केवल एक में पुराने और परित्यक्त डम्प साइटों का जैव उपचार या कैपिंग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप पुराने अपशिष्ट का संचय हुआ और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

औसतन, राज्य में उत्सर्जित अपशिष्ट का पाँच से आठ प्रतिशत तथा नमूना परीक्षित शहरी स्थानीय निकायों में आठ से 16 प्रतिशत तक एकत्र नहीं किया गया था। संग्रहित

अपशिष्ट का केवल 3.13 प्रतिशत (स्रोत पर 0.09 प्रतिशत, स्थानांतरण केन्द्रों पर 0.81 प्रतिशत और प्रसंस्करण स्थलों पर 2.23 प्रतिशत) ही छटनी किया गया था। अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट बीनने वालों की पहचान नहीं की गई और उन्हें अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया में एकीकृत नहीं किया गया। अपशिष्ट के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले 64 प्रतिशत वाहनों को ढका नहीं गया था, अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने वाले श्रमिकों को वर्दी और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे थे एवं उनका उपयोग नहीं किया जा रहा था।

माध्यमिक भंडारण/स्थानांतरण केंद्र आवासीय क्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों, नहरों और शहरी स्थानीय निकायों के खुले मैदानों के पास स्थापित किए गए थे। सेनेटरी लैंडफिल केवल दो शहरी स्थानीय निकायों में उपलब्ध थे। सेनेटरी लैंडफिल के अभाव में अधिकतम अपशिष्ट खुले स्थानों पर डम्प किया गया था। कुल 75,074 वर्ग मीटर क्षेत्र के 13 डम्प साइट थे जिनमें 3,63,019 लाख टन अपशिष्ट शहरी स्थानीय निकायों के खुले डम्प साइट में पड़ा हुआ था। डंपिंग साइटों के भौतिक सत्यापन के दौरान अपशिष्ट को नदी में बहते हुए, अपशिष्ट को जलाते हुए और कृषि भूमि में पड़े हुए देखा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के डम्प साइटों के भौतिक निरीक्षण के दौरान देखा गया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए पर्यावरण मानक बहुत खराब थे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी स्थानीय निकायों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में विफल रहा। विगत पांच वर्षों में, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, 88 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों की एक बार भी समीक्षा नहीं की गई। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित किए बिना नमूना परीक्षित किए गए 13 शहरी स्थानीय निकायों में से दो में अपशिष्ट का अंतरराज्यीय आवागमन हो रहा था। लेखापरीक्षा के दौरान नगरीय अपशिष्ट की दैनिक उठान में कमी या अनुचित उठान से संबंधित शिकायतें देखी गईं।

सी ए जी क्या अनुशंसा करते हैं?

- राज्य सरकार को अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन और उनकी निगरानी के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं/कार्य योजनाओं को तैयार करने में शहरी स्थानीय निकायों की सहायता के लिए प्रणालियां तैयार करने की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे का समय पर निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए

ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और निस्तारण में अपनाए गए अस्थायी दृष्टिकोण से बचा जा सके। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की तैयारी, अनुमोदन और स्थापना में अत्यधिक देरी के लिए सभी स्तरों पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

- राज्य सरकार को एक प्रणाली तैयार करके स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण को प्रोत्साहित करना चाहिए और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों के दौरान छटनी किए गए अपशिष्ट के मिश्रण को रोकना चाहिए।
- शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपशिष्ट परिवहन के लिए खरीदे गए वाहन ठके हुए हों और वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करते हों।
- राज्य सरकार सेवा स्तर मानदंड के आंकड़ों की विश्वसनीयता के अधिमानित स्तर को प्राप्त करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक समयबद्ध योजना बना सकती है।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में शामिल सभी संबंधित पक्ष अपनी गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें और निर्धारित मानकों के अनुपालन हेतु क्रियान्वयन की समीक्षा, मानकों के अनुरूप की जाए।
- राज्य सरकार वैज्ञानिक रूप से प्रत्येक शहरी स्थानीय निकायों के कार्यभार का आकलन कर सकती है तथा तदनुसार मानव संसाधनों की स्वीकृति/तैनाती कर सकती है।

लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया

'बहिर्गमन गोष्ठी' (सितम्बर 2023) के दौरान संबंधित अपर सचिव के साथ मसौदा सामग्री और उसमें की गई सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा की गई और उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जहां भी आवश्यकता होगी, विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा। मार्च 2024 में राज्य सरकार के विभाग को उनके विचार/ इनपुट प्राप्त करने के लिए एक अद्यतन और संशोधित मसौदा निष्पादन प्रतिवेदन पुनः जारी किया गया था। हालांकि, अप्रैल 2024 तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

